दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-10-2025

विषय सूची

» एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना(ICCVAI)
» भारत द्वारा ISA सभा में प्रमुख वैश्विक सौर पहलें प्रारंभ
» भारत में शहरी नियोजन पर पुनर्विचार
» केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय
» हिमालय में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
» वैश्विक उत्सर्जन में कटौती पेरिस लक्ष्यों से कम रही

संक्षिप्त समाचार

» 8वां केंद्रीय वेतन आयोग
» पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम(SNAP)
» 14वीं चरण की वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी
» लोकटक झील
» जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025
» HAL-रूस सौदा: एसजे-100 भारत में बनेगा

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना(ICCVAI)

संदर्भ

- फसल कटाई के पश्चात होने वाली हानि भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं, विशेष रूप से नाशपाती वस्तुओं के लिए, और एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता है।

फसल कटाई के पश्चात हानि का पैमाना

- भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, जिससे यह विश्व में आठवें स्थान पर आता है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फसल कटाई के पश्चात की हानि प्रतिवर्ष लगभग ₹1,52,790 करोड़ है।
- सबसे अधिक हानि नाशपाती वस्तुओं से होता है, जिसमें अंडे, मछली एवं मांस जैसे पशु उत्पाद (22%), फल (19%) और सब्जियाँ (18%) शामिल हैं।

फसल कटाई के पश्चात हानि के कारण

- **कटाई में अक्षमता:** समय से पहले या देर से कटाई से गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है।
- **यंत्रीकरण की कमी:** कटाई मशीनों की सीमित उपलब्धता से हानि और बिखराव होता है।
- **अपर्याप्त बाजार पहुंच और मूल्य समर्थन:** छोटे किसान प्रायः तरलता की कमी और गोदाम रसीदों की अनुपलब्धता के कारण कटाई के तुरंत बाद उत्पाद बेच देते हैं।
  - इससे संकटग्रस्त बिक्री होती है और उचित भंडारण या कटाई के बाद की प्रक्रिया में निवेश हतोत्साहित होता है।
- **कीट और रोग का हमला:** अपर्याप्त कीट नियंत्रण से फसल खराब होती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** शीत शृंखला, गोदामों, और नमी-रोधी साइलो की कमी से खाद्य वस्तुओं के सड़ने/गलने की समस्या होती है।
- **परिवहन बाधाएँ:** सड़क अवसंरचना सुदृढ़ नहीं है और प्रशीतित परिवहन की कमी है।

चिंताएँ

- **प्रत्यक्ष जीडीपी हानि:** भारत में खाद्य हानि से प्रतिवर्ष ₹1.5 लाख करोड़ का जीडीपी हानि होती है, जिसे अधिक कुशल और लचीली खाद्य प्रणालियों के माध्यम से रोका जा सकता है।
- **किसानों की आय:** उत्पाद के खराब होने और बर्बादी के कारण लाभप्रदता में कमी आती है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** अनाज, विशेष रूप से धान में मामूली प्रतिशत हानि भी प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन से अधिक CO□ समतुल्य उत्सर्जन में बदल जाता है, क्योंकि धान में मीथेन की तीव्रता अधिक होती है।
  - पशु उत्पादों का हानि भी उतना ही हानिकारक है क्योंकि इनका संसाधन पदचिह्न भारी होता है।
- **सरकारी योजनाओं पर भार:** खाद्य अपव्यय का प्रभाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण मिशनों जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर भी पड़ता है।
- **संसाधनों की हानि:** इन खाद्य फसलों का उत्पादन जल आपूर्ति, ऊर्जा, उर्वरक, भूमि और श्रम का समन्वित परिणाम होता है।
  - खाद्य की हानि का अर्थ है जल, ऊर्जा, उर्वरक और भूमि आदि की बर्बादी।

सरकारी पहलें

- **एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (ICCVAI):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत ICCVAI योजना चलाता है।
  - यह योजना बागवानी, डेयरी, मांस, पोल्ट्री और समुद्री उत्पादों सहित कई क्षेत्रों को शामिल करती है, जिससे कृषि एवं संबद्ध उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नाशपाती वस्तुओं की व्यापक श्रेणी को संबोधित किया जाता है।
- **बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH):** MIDH के अंतर्गत देशभर में 5,000

मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- ये परियोजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर लागू की जाती हैं।

- **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे MoFPI द्वारा 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल कटाई के बाद हानि को कम करना है।
- **कृषि अवसंरचना निधि (AIF):** यह निधि फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक खेती की संपत्तियों जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम एवं प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखती है।
  - सभी पात्र लाभार्थी ₹2 करोड़ तक के बिना जमानत वाले टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही टर्म लोन पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।
- **PMKSY के अंतर्गत बजटीय आवंटन में वृद्धि (2025):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 में PMKSY के लिए ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल आवंटन ₹6,520 करोड़ हो गया।
  - यह महत्वपूर्ण वृद्धि शीत शृंखला अवसंरचना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उपलब्धियाँ और प्रगति

निष्कर्ष

- इस योजना का विकास अनुकूली शासन का उदाहरण है।
- 2025 के बजट में वृद्धि सरकार के शीत शृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने के फोकस को दर्शाती है।
- कृषि विपणन सुधारों के साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करने से किसानों को मिलने वाले लाभों को और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें *किसानों की आय दोगुनी करना (DFI)* भी शामिल है।

Source: PIB

भारत द्वारा ISA सभा में प्रमुख वैश्विक सौर पहलें प्रारंभ

संदर्भ

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के आठवें सत्र में विश्व को स्वच्छ, न्यायसंगत और परिपत्र सौर ऊर्जा प्रणालियों की ओर तीव्रता से ले जाने के लिए प्रमुख वैश्विक पहलों का एक सेट लॉन्च किया।

प्रारंभ की गई पहलें

- **सनराइज़ प्लेटफ़ॉर्म (SUNRISE):** सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रीसाइक्लिंग सरकारों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों को जोड़कर सौर अपशिष्ट में निहित मूल्य को उजागर करेगा।
  - पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर, सनराइज़ का उद्देश्य सौर ऊर्जा तैनाती को वास्तव में सतत बनाना है।
- **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG):** यह योजना पूर्वी एशिया-दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया-मध्य पूर्व, मध्य पूर्व-यूरोप और यूरोप-अफ्रीका के बीच प्राथमिक लिंक की पहचान करती है, जिससे आगामी दशक में स्वच्छ ऊर्जा व्यापार एवं ऊर्जा लचीलापन को बढ़ावा मिलेगा।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC):** यह एक हब-एंड-स्पोक नेटवर्क है जो नए सोलर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसोर्स सेंटर (STAR-C) मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ता है।

- GCC का उद्देश्य ISA अकादमी के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं डिजिटल क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।

- **SIDS खरीद प्लेटफ़ॉर्म:** इसे ISA और विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
    - हस्ताक्षर ने 16 सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वे समन्वित खरीद, डिजिटल एकीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सौर ऊर्जा तैनाती को आगे बढ़ाएंगे ताकि ऊर्जा लचीलापन बढ़ाया जा सके।

महत्त्व

- ये पहलें ISA के लिए समर्थन से क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करती हैं।
- ये पहलें वैश्विक दक्षिण में सौर ऊर्जा को सुलभ, किफायती और सतत बनाने के ISA के मिशन को सुदृढ़ करती हैं।
- COP30 (ब्राज़ील) से पहले की गई ये घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि भारत वैश्विक दक्षिण को सौर क्रांति के केंद्र में लाने का प्रयोजन रखता है।
- इन पहलों के माध्यम से, ISA देशों को पायलट से स्केल तक ले जाने में सहायता कर रहा है — एक सौर-संचालित, समावेशी और पुनर्योजी भविष्य का निर्माण करते हुए।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा COP21 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए सौर ऊर्जा को एक सतत समाधान के रूप में बढ़ावा देना, और 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य।
- **सदस्य:** ISA के अब 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो मिनी-ग्रिड, ग्रामीण विद्युतीकरण और सौर वित्तपोषण पर परियोजनाएं चला रहे हैं।
    - शुरुआत में विकासशील देशों पर केंद्रित, ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 2020 में संशोधित किया गया ताकि सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इसमें शामिल हो सकें।
    - ISA का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, और यह देश में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

ISA की भविष्य की परियोजनाओं की रूपरेखा

- **ईज़ ऑफ डूइंग सोलर (EODS):** यह बताता है कि 2024 में ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक निवेश 2083 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें ISA सदस्य देशों का योगदान 861.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
    - नवीकरणीय ऊर्जा में 725 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ, जिसमें से सौर ऊर्जा का हिस्सा 521 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा — जिससे यह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का प्रमुख चालक बन गया।
- **सोलर कंपास – एकीकृत पीवी अनुप्रयोगों पर विशेष अंक:** यह रेखांकित करता है कि अब सौर नवाचार में वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व का समय है।
    - विकासशील देशों में लगभग 70% भवनों का निर्माण अभी बाकी है, और बिल्डिंग-इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स(BIPV) भविष्य के बुनियादी ढांचे में सौर ऊर्जा को एकीकृत करने का एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करता है।
- **वैश्विक फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क परियोजनाएं:** आगामी दशक में वैश्विक फ्लोटिंग सोलर क्षमता तीव्रता से बढ़ेगी, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र इस वृद्धि का नेतृत्व करेगा।
    - यह फ्रेमवर्क देशों को उनकी भौगोलिक, बाजार और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतियाँ विकसित करने के उपकरण प्रदान करता है।
- **अफ्रीका में सोलर पीवी कौशल और नौकरियों की परियोजनाएं:** महाद्वीप की सौर कार्यबल 226,000 से बढ़कर 2050 तक 2.5–4.2 मिलियन तक पहुंचने की सम्भावना है।
    - इस वृद्धि को तकनीशियन आगे बढ़ाएंगे, जिनकी संख्या 1.3 मिलियन तक हो सकती है, और छोटे पैमाने की प्रणालियाँ सभी रोजगारों का 55% हिस्सा बनेंगी।

Source: DTE

भारत में शहरी नियोजन पर पुनर्विचार

संदर्भ

- भारत के शहरी केंद्रों को प्रतिक्रियाशील स्थानों से विकास के सक्रिय इंजन में बदलने की आवश्यकता है और भूमि उपयोग ज़ोनिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह विकसित भारत की दृष्टि के अंतर्गत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है।

भारत में शहरी नियोजन की आवश्यकता और शहरों की रणनीतिक भूमिका

- **आर्थिक विकास:** भारत के शहर देश के GDP में 63% से अधिक योगदान देते हैं और 2030 तक यह 75% तक पहुंचने की संभावना है।
  - शहरी नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि यह विकास स्थानिक रूप से कुशल और आर्थिक रूप से समावेशी हो।
- **जनसंख्या वृद्धि:** वर्तमान में 400 मिलियन से अधिक लोग शहरों में रहते हैं, और यह संख्या 2036 तक लगभग 600 मिलियन तथा 2050 तक 800 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
  - इस घनत्व, अवसंरचना और सेवाओं के प्रबंधन के लिए नियोजन आवश्यक है।
- **जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका:** भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए शहरी नेतृत्व आवश्यक है।
  - शहर ऊर्जा की भारी खपत करते हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - इसलिए, उन्हें निम्न-कार्बन विकास, कुशल ऊर्जा उपयोग और सतत अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली जलवायु कार्य योजनाओं को एकीकृत करना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

- शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)/ शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है (भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची)।
- MoHUA विभिन्न योजनाओं जैसे AMRUT के माध्यम से राज्यों/ULBs को क्षमता निर्माण गतिविधियों में समर्थन दे रहा है, जिससे ULB के कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि की क्षमताओं में सुधार हो सके।

पारंपरिक शहरी नियोजन की सीमाएं

- ऐतिहासिक रूप से, भारत में शहरी नियोजन स्थिर मास्टर योजनाओं के आस-पास रहा है, जो आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि आवंटन को प्राथमिकता देती हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण आधुनिक शहरीकरण की गतिशील चुनौतियों के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जैसे:
  - **खंडित शासन व्यवस्था:** शहरों में अधिकार क्षेत्रों की ओवरलैपिंग और कमजोर स्थानीय शासन के कारण समन्वित नियोजन कठिन हो जाता है।
  - **गतिशीलता और परिवहन एकीकरण:** शहर तीव्रता से बढ़ रहे हैं, लेकिन एकीकृत परिवहन नियोजन के अभाव में जाम और प्रदूषण बढ़ते हैं।
  - **पर्यावरणीय दबाव:** तीव्र शहरी विस्तार के कारण जल संकट, वायु प्रदूषण और गर्मी का तनाव बढ़ा है, जिससे एकीकृत पर्यावरणीय नियोजन की आवश्यकता है।
  - **सामाजिक अवसंरचना और असमानता:** स्वास्थ्य, शिक्षा और सस्ती आवास जैसी सुविधाएं प्रायः बाद में आती हैं, जिससे असमान शहरी विकास होता है।
  - **आर्थिक गतिशीलता:** भूमि उपयोग योजनाएं आर्थिक क्लस्टर, नवाचार केंद्रों या रोजगार क्षेत्रों को शामिल नहीं करतीं जो शहरी समृद्धि को बढ़ाते हैं।
- **वित्तीय अंतराल:** शहरों को कम अवशोषण क्षमता, खंडित शासन और वाणिज्यिक वित्त तक सीमित पहुंच की समस्या है।
  - विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2036 तक शहरी अवसंरचना की मांग को पूरा करने के लिए ₹70 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।

एक नए दृष्टिकोण की ओर: शहरी नियोजन का पुनर्विचार

- **आर्थिक दृष्टि को आधार बनाना:** शहरी नियोजन को 20–50 वर्षों की शहर-स्तरीय आर्थिक दृष्टि से शुरू करना चाहिए।
  - इसमें आर्थिक प्रेरकों की पहचान, रोजगार सृजन की संभावना और भूमि उपयोग व अवसंरचना आवश्यकताओं का संरेखण शामिल है।
- **प्राकृतिक संसाधनों का बजट निर्धारण:** प्रत्येक शहर को अपनी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और वहन क्षमता का आकलन करना चाहिए।
  - शहरी योजनाओं में जल, ऊर्जा और अपशिष्ट के लिए संसाधन बजटिंग को शामिल करना चाहिए, साथ ही मांग प्रबंधन एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **जलवायु कार्रवाई का एकीकरण:** शहरों को उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और लचीलापन निर्माण की रणनीतियों को रेखांकित करने वाली जलवायु कार्य योजनाएं बनानी चाहिए।
  - ये योजनाएं 2030 तक ग्रीनहाउस गैस में कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होनी चाहिए।
- **पर्यावरण और गतिशीलता नियोजन:** शहरी पर्यावरण प्रबंधन में वायु प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित अवसंरचना को शामिल करना चाहिए।
  - एक व्यापक गतिशीलता योजना सार्वजनिक परिवहन, साइक्लिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देनी चाहिए ताकि जाम एवं उत्सर्जन कम हो सके, सतत परिवहन सिद्धांतों के अनुरूप।
- **क्षेत्रीय और छोटे शहरों का एकीकरण:** शहरी अर्थव्यवस्थाएं नगरपालिका सीमाओं से परे फैली होती हैं।
  - इसलिए, नियोजन को क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत हो सकें।
  - छोटे शहर, जिनकी भूमि लागत कम होती है, विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार के लिए अपार संभावनाएं रखते हैं।
- **डेटा-आधारित निर्णय लेना:** GIS मैपिंग, रीयल-टाइम एनालिटिक्स और स्मार्ट सिटी टूल्स अनुकूली नियोजन को सक्षम बना सकते हैं।

संस्थागत और शैक्षिक सुधार

- **संशोधित नियोजन कानून:** शहरी योजनाओं में आर्थिक, पर्यावरणीय और क्षेत्रीय एकीकरण को सक्षम करने के लिए।
- **क्षमता निर्माण:** नियोजन और वास्तुकला में शैक्षिक पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना ताकि पेशेवरों को आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।
- **अंत:विषय सहयोग:** अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और शहरी योजनाकारों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना ताकि समग्र विकास रणनीतियां बन सकें।

सरकार द्वारा संचालित नियोजन सुधार

- **नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट:** अखिल भारतीय शहरी और क्षेत्रीय नियोजन सेवा बनाने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियमों में सुधार एवं शहरी नियोजन शिक्षा को सुदृढ़ करने की सिफारिश करती है।
- **MoHUA की पहलें:** URDPFI और मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ के माध्यम से मंत्रालय भूमि उपयोग दक्षता, स्थायित्व एवं वहनीयता को बढ़ावा देता है।
- **भारत अवसंरचना रिपोर्ट 2023:** शहरी पुनर्विकास, सतत विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल देती है।
- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** परिवहन, लॉजिस्टिक्स और शहरी नियोजन को एकीकृत करने वाली बहु-मोडल अवसंरचना रणनीति है, जो निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन, कुशल सार्वजनिक सेवाओं और सतत शहरी डिज़ाइन के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य।
- **शहरी अवसंरचना निवेश:** भारत अपने GDP का 3.3% अवसंरचना पर व्यय कर रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे और शहरी परिवहन पर विशेष ध्यान है।

Source: IE

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसमें रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने की बात कही गई है।

प्रस्ताव के बारे में

- सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
- P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के अंतर्गत दी जाती है, जो 01.04.2010 से प्रभावी है।
- किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को किफायती दरों पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी वृद्धि के पीछे कारण

- **वैश्विक मूल्य अस्थिरता:** यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण उर्वरकों के आयात की लागत बढ़ गई है।
  - यह सब्सिडी किसानों को इन वैश्विक आघातों से राहत देने के उद्देश्य से दी जा रही है।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:** NBS ढांचे के अंतर्गत , सरकार पोषक तत्वों की मात्रा और बाजार की स्थिति के आधार पर सब्सिडी दरों को समायोजित करती है। वर्तमान संशोधन आयात लागत और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- **किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा:** समय पर और किफायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता फसल उत्पादन बनाए रखने और ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से रबी सीजन में जब गेहूं, दालें एवं तिलहन बोए जाते हैं।

अपेक्षित परिणाम

- **फसल उत्पादकता में वृद्धि:** संतुलित पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता से फसल की वृद्धि और उत्पादन में सुधार होगा।
- **किसानों के लिए मूल्य स्थिरता:** यह सब्सिडी किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाएगी और लागत का भार कम करेगी।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण मांग और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

सुझाव और आगे की राह

- भारत ने हाल के वर्षों में यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है।
- स्वदेशी निर्माण में निरंतर निवेश से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- रबी 2025 के लिए उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि एक रणनीतिक हस्तक्षेप है जो कृषि इनपुट लागत को स्थिर करने, किसानों को समर्थन देने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है।
- जैसे-जैसे भारत जलवायु चुनौतियों और बाजार की अस्थिरता से सामना कर रहा है, ऐसे सक्रिय उपाय एक लचीली और समावेशी कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

क्या आप जानते हैं?

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया है, फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों—जैसे कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)—पर उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।
- इन दरों की समीक्षा वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत, P&K उर्वरक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया गया है, जिससे निर्माता और आयातक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को उचित स्तर पर तय कर सकते हैं, जो सरकारी निगरानी के अधीन होता है।
- उर्वरक उत्पादन और आयात बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्देशित होते हैं।

Source :TH

NEXT IAS

हिमालय में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ

संदर्भ

- हिमालयी क्षेत्र, जिसे प्रायः तीसरा ध्रुव कहा जाता है, को जलवायु-जनित आपदाओं से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता है, क्योंकि आपदा तैयारी अभी भी अपर्याप्त है।

हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता

- एक रिपोर्ट के अनुसार, 1900 से 2022 के बीच भारत में हुई 687 आपदाओं में से लगभग 240 हिमालयी क्षेत्र में केंद्रित थीं।
- हिमालय प्रति दशक 0.15°C–0.60°C की दर से गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से तीव्र है, जिससे यह क्षेत्र अधिक अनिश्चित और चरम मौसम घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता जा रहा है।
- NASA के आंकड़ों के अनुसार, 2007 से 2017 के बीच हिमालयी क्षेत्र में 1,100 से अधिक भूस्खलन हुए।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता

- EWS हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs), भूस्खलन, हिम तूफान और बादल फटने जैसी घटनाओं की निगरानी एवं पूर्वानुमान कर सकती है।
- रीयल-टाइम डेटा निकासी, बचाव योजना और आपदा प्रबंधन को सामुदायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सक्षम बनाता है।
- पर्वतीय शासन में EWS का एकीकरण स्थानीय लचीलापन को सुदृढ़ कर सकता है और बार-बार होने वाली आपदाओं से आर्थिक हानि को कम कर सकता है।

हिमालय में EWS स्थापित करने की चुनौतियाँ

- **भौगोलिक जटिलता:** हिमालयी चाप 2,400 किमी से अधिक फैला है, जिसमें विविध स्थलाकृति, ऊँचाई और जलवायु स्थितियाँ शामिल हैं, जिससे एकसमान निगरानी कठिन हो जाती है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी की समस्याएं:** कई घाटियाँ मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्टिविटी से बाहर हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन जटिल हो जाता है।
- **स्वदेशी तकनीक की कमी:** भारत में कम लागत वाली, मौसम-प्रतिरोधी, आसानी से स्थापित की जा सकने वाली EWS प्रणालियों की कमी है जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाए रखा जा सके।
- **संस्थागत अंतराल:** वैज्ञानिक संस्थानों, स्थानीय सरकारों और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय कमजोर है।
  - अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण सीमित है।
- **सामुदायिक भागीदारी की कमी:** स्थानीय समुदाय, जो प्रायः आपदा के समय पहले उत्तरदाता होते हैं, को निगरानी या प्रतिक्रिया तंत्र में शायद ही कभी प्रशिक्षित या शामिल किया जाता है।

EWS में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

- AI आधारित मॉडल कई सेंसरों से प्राप्त लाइव डेटा को पूर्वानुमान चेतावनियों में बदल सकते हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन सूचित निर्णय ले सके।
- सैटेलाइट निगरानी और रिमोट सेंसिंग हिमनदों की गतिविधियों, वर्षा की तीव्रता एवं तापमान विसंगतियों को ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि उच्च लागत एक चिंता का विषय है।
- ड्रोन स्थानीय मानचित्रण में सहायक हो सकते हैं, लेकिन तीव्र वायुऔर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सीमाएं हैं। AI, ग्राउंड-बेस्ड सेंसर और सामुदायिक नेटवर्क का एकीकरण हिमालय के लिए एक हाइब्रिड, स्केलेबल समाधान प्रदान कर सकता है।

भारतीय पहलें

- पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों के लिए AI-सहायता प्राप्त ओलावृष्टि EWS को वित्त पोषित किया है, जो उप-किलोमीटर स्तर पर चेतावनी देने में सक्षम है।
- राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन (NMSHE) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) जैसे परियोजनाएं तकनीक और सामुदायिक तैयारी के एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।

आगे की राह

- **स्वदेशी, कम लागत वाली EWS विकसित करें:** स्थानीय रूप से निर्मित, मौसम-प्रतिरोधी प्रणालियों को बढ़ावा दें ताकि उन्हें आसानी से तैनात किया जा सके।
- **सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन:** स्थानीय आबादी को EWS को संचालित करने और चेतावनियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करें।
- **डेटा एकीकरण और AI का उपयोग**: सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड सेंसर एवं AI-आधारित मॉडल को मिलाकर सटीक और समयबद्ध चेतावनी सुनिश्चित करें।
- **सीमा-पार सहयोग:** चूंकि हिमालयी नदियाँ और हिमनद कई देशों द्वारा साझा किए जाते हैं, क्षेत्रीय डेटा साझाकरण और समन्वय आवश्यक है।
- **नीति और वित्त पोषण को प्राथमिकता दें:** केंद्र और राज्य सरकारों को हिमालयी आपदा लचीलापन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए समर्पित निधि एवं संस्थागत ध्यान देना चाहिए।

Source: TH

वैश्विक उत्सर्जन में कटौती पेरिस लक्ष्यों से कम रही

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र संश्लेषण रिपोर्ट ने पाया है कि वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के प्रयास पेरिस समझौते (2015) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं।

रिपोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताएं

- यह रिपोर्ट देशों की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जंगल लगाने के वादे हैं, जो 2035 तक लागू होंगे।
  - रिपोर्ट 190 देशों में से केवल 64 देशों की प्रस्तुतियों पर आधारित है। भारत ने अभी तक अपना अद्यतन NDC प्रस्तुत नहीं किया है; इसकी अंतिम प्रस्तुति अगस्त 2022 में की गई थी।
- देश 2035 तक 2019 के स्तर की तुलना में केवल 17% उत्सर्जन में कटौती की दिशा में अग्रसर हैं, जो वैश्विक तापमान को 1.5°C या 2°C के अंदर रखने के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है।
- हालांकि, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C और 1.5°C के नीचे रखने के लिए देशों को क्रमशः 37% और 57% उत्सर्जन में कटौती करनी होगी (2019 के स्तर की तुलना में)।
- ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2025 बताती है कि विश्व अपने पहले जलवायु टिपिंग पॉइंट तक पहुंच रही है—गर्म जल प्रवाल भित्तियों की व्यापक मृत्यु।

भारत की प्रतिबद्धताएं: उत्सर्जन में कटौती

- भारत ने पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) मिशन शुरू किया है और पेरिस समझौते के तहत अपने NDCs को अद्यतन किया है।
- अद्यतन NDC 2022 के अंतर्गत भारत ने संकल्प लिया है:
  - 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता (GDP प्रति इकाई CO_2) में 45% की कटौती।
  - 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगा।
  - वनों और वृक्ष आवरण को बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य ($GtCO_2e$) का कार्बन सिंक बनाना।

GHG उत्सर्जन में कटौती की चुनौतियाँ

- **वैश्विक चुनौतियाँ:**
  - **औद्योगिक प्रतिरोध:** यूरोपीय उद्योगों द्वारा शिथिल उत्सर्जन मानदंडों के लिए निरंतर लॉबिंग।
  - **कार्बन क्रेडिट पर निर्भरता:** विदेशी कार्बन क्रेडिट पर अत्यधिक निर्भरता से डीकार्बोनाइजेशन का भार विकासशील देशों पर स्थानांतरित हो सकता है।
  - **धीमा परिवहन संक्रमण:** स्वच्छ गतिशीलता तकनीकों को अपनाने में धीमी गति के कारण EU में सड़क परिवहन क्षेत्र से लगातार उत्सर्जन।

- **भारत की चुनौतियाँ:**
  - **कोयले पर भारी निर्भरता:** भारत के लगभग 75% उत्सर्जन का स्रोत अभी भी कोयला है।
    - इस्पात उद्योग का तेज़ी से विस्तार, जो अभी भी कोयले पर निर्भर है, प्रदूषण की समस्या को बढ़ाता है।
- **जलवायु लक्ष्य सुदृढ़ होने चाहिए:** भारत ने जलवायु लक्ष्य (NDCs) तय किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्ष्य 1.5°C तापमान सीमा को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **नीतिगत अंतराल:** भारत एक कार्बन बाजार स्थापित कर रहा है (जहां कंपनियां उत्सर्जन का अधिकार खरीद-बेच सकती हैं), लेकिन यह अभी वैकल्पिक है और पूरी तरह से कार्यशील नहीं है।

आगे की राह

- **वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाएं:** प्रमुख उत्सर्जक देशों, विशेष रूप से G20 राष्ट्रों को COP30 से पहले अपने NDCs को वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अनुरूप सुदृढ़ करना चाहिए।
- **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को तीव्र करें:** सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और CCUS (कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण) क्षमता का विस्तार प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **अनुकूलन उपायों को सुदृढ़ करें:** लचीला अवसंरचना बनाएं, आपदा तैयारी में सुधार करें, और प्रकृति-आधारित समाधान को बढ़ावा दें।
- **जलवायु वित्त का एकत्रण:** विकसित देशों को $100 बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए और शमन व अनुकूलन के लिए रियायती वित्त का विस्तार करना चाहिए।
- **व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करें:** मिशन LiFE जैसे अभियानों के माध्यम से सतत जीवनशैली को बढ़ावा दें, जिसमें कम उपभोग और अपशिष्ट पर ध्यान हो।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट COP30 से पहले एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो देशों से अपने NDCs को सुदृढ़ करने, जलवायु वित्त एकत्रण और अनुकूलन प्रयासों को तीव्र करने का आग्रह करती है।
- यदि पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, तो पेरिस समझौते के 1.5°C और 2°C के लक्ष्य अप्राप्य रहेंगे, जिससे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय गंभीर जोखिम में पड़ जाएंगे।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्यसूची (Terms of Reference) को मंजूरी दी।

परिचय

- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी।
- इस आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा करना और सिफारिशें देना है।
- यह एक अस्थायी निकाय होगा।
- आयोग में एक अध्यक्ष (न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई), एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
- यह आयोग अपनी स्थापना की तिथि से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय वेतन आयोग

- केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक बदलावों पर सिफारिशें दी जा सकें।

- प्रथम वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, और इसके बाद लगभग प्रत्येक 10 वर्षों में नए आयोगों का गठन किया गया है।
- इस प्रवृत्ति को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित है।

Source: AIR

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम(SNAP)

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों परिवारों को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP), जिसे सामान्यतः फूड स्टैम्प्स के नाम से जाना जाता है, की पहुंच खोने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने वित्तीय कमी के कारण भुगतान को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है।

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)

- SNAP अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जिसमें लाभार्थियों को रीलोडेबल डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, जिनका उपयोग वे सुपरमार्केट और अमेज़न ग्रोसरी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आवश्यक किराने का सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं।
- यह कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था, जिसने फूड स्टैम्प प्रोग्राम की जगह ली थी, जिसकी शुरुआत 1939 में महामंदी के दौरान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने उपभोक्ता क्रय शक्ति को बढ़ाने और फसल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से की थी ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
- पारंपरिक रूप से इसे संघीय सरकार और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें संघीय सरकार आमतौर पर लाभों का भुगतान करती है और राज्य कार्यक्रम के प्रशासन की लागत वहन करते हैं।
- योग्यता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुरूप आय सीमा पर आधारित होती है—2025 में व्यक्तियों के लिए $15,060 और चार सदस्यीय परिवारों के लिए $30,000—जिसके अंतर्गत अधिकतम मासिक लाभ क्रमशः $292 और $975 हैं।
  - यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के लिए है, हालांकि क्यूबा या हैती से आए कुछ शरणार्थी और शरणार्थी आवेदक यदि आय मानदंडों को पूरा करते हैं तो पात्र हो सकते हैं।
  - स्थायी निवासी और ग्रीन-कार्ड धारकों को पात्रता के लिए कम से कम पाँच वर्ष पूरे करने होते हैं।
  - वन बिग ब्यूटीफुल' बिल" ने कार्य आवश्यकताओं की आयु सीमा को 54 से बढ़ाकर 64 कर दिया है, जिससे अब केवल उन माता-पिता को छूट दी गई है जिनके बच्चे 7 वर्ष से कम उम्र के हैं।

Source :IE

14वीं चरण की वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी

संदर्भ

- कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खदानों की 14वीं चरण की नीलामी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्रथम बार, मंत्रालय नीलामी ढांचे के अंदर भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधानों को शामिल कर रहा है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

- UCG एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को पारंपरिक खनन के बजाय भूमि के अंदर ही एक ज्वलनशील गैस (सिंगैस) में परिवर्तित किया जाता है।

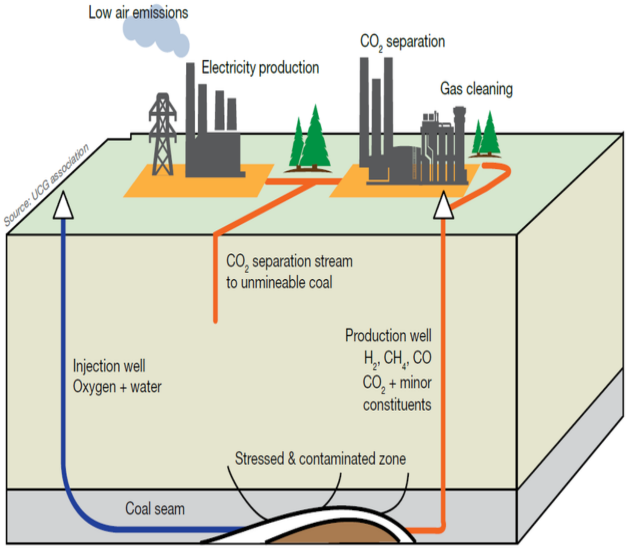

- यह भारत के गहराई में स्थित कोयला भंडारों का दोहन करने की एक रणनीतिक पहल है—ऐसे संसाधन जिन्हें पारंपरिक तरीकों से खनन करना संभव नहीं है।
- यह नवाचार भारत की आयातित प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ निवेश के नए अवसरों को खोलने की संभावना है।

Source: PIB

लोकटक झील

संदर्भ

- नागालैंड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने मणिपुर की लोकटक झील में भूमि उपयोग और गंभीर जल प्रदूषण के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया है।

लोकटक झील के बारे में

- यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है और अपने अद्वितीय तैरते हुए जैव-पिंड के लिए जानी जाती है, जिसे मीतेई भाषा में "फुमदी" कहा जाता है।
- खूगा, नामबुल, इंफाल, कोंगबा, इरिल और थोउबाल जैसी नदियाँ लोकटक झील में जाकर मिलती हैं।
- यह झील 132 पौधों की प्रजातियों और 428 पशु प्रजातियों का समर्थन करती है, जिनमें कई स्थानिक और प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं।
- इसकी पारिस्थितिकीय महत्ता के कारण इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है।
- विनाश के कारण, लोकटक झील 1993 से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, जो उन आर्द्रभूमियों की वैश्विक चेतावनी सूची है जो गंभीर पारिस्थितिकीय क्षति का सामना कर रही हैं।

पारिस्थितिकीय महत्त्व

- यह केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह उद्यान मणिपुर के राज्य पशु संगाई या ब्राउन-एंटलर्ड हिरण को आश्रय देता है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।

Source: TH

जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025

समाचार में

- क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025, जिसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के लुकास चांसल और कॉर्नेलिया मोरेन ने सह-लेखित किया है, में पाया गया है कि जलवायु संकट को बढ़ाने में अमीर व्यक्ति अपनी खपत से अधिक अपने निवेशों के माध्यम से योगदान देते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट में बताया गया है कि संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से अमीर व्यक्ति जलवायु संकट में खपत की तुलना में अधिक योगदान देते हैं, जिसमें शीर्ष 1% लोग निजी पूंजी से जुड़े उत्सर्जन का 41% और खपत आधारित उत्सर्जन का 15% उत्तरदायी हैं।
- उनकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर निम्न 50% की तुलना में 680 गुना तक अधिक है।
- अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में स्वामित्व आधारित उत्सर्जन खपत आधारित अनुमानों से कहीं अधिक है, जो अमीरों के असमान प्रभाव को दर्शाता है।

प्रभाव

- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन संपत्ति असमानता को और बढ़ा सकता है, और यदि शीर्ष 1% लोग जलवायु निवेशों पर नियंत्रण रखते हैं, तो वे 2050 तक वैश्विक संपत्ति का 46% तक नियंत्रित कर सकते हैं।

सुझाव

- रिपोर्ट एक कार्बन-समायोजित संपत्ति कर का प्रस्ताव देती है, ताकि उच्च-कार्बन निवेशों को हतोत्साहित किया जा सके और हरित संक्रमण के लिए धन एकत्रित किया जा सके।
- रिपोर्ट का तर्क है कि यह उपभोक्ता-केंद्रित कार्बन कर की तुलना में अधिक प्रगतिशील और प्रभावी होगा।
- अतिरिक्त सिफारिशों में नए जीवाश्म ईंधन निवेशों पर प्रतिबंध लगाना और निम्न-कार्बन अवसंरचना में सार्वजनिक स्वामित्व का विस्तार करना शामिल है ताकि असमानता को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

- 1.5°C तापमान वृद्धि के लिए वैश्विक कार्बन बजट लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में यह आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन को वैश्विक संपत्ति असमानता को और खराब करने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

Source :IE

HAL-रूस सौदा: एसजे-100 भारत में बनेगा

संदर्भ

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) ने नागरिक कम्यूटर विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- SJ-100 एक ट्विन-इंजन, नैरो-बॉडी यात्री विमान है।
- अब तक 200 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जा चुका है और ये 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा विश्वभर में संचालित किए जा रहे हैं।
- इस सहयोग के अंतर्गत, HAL को घरेलू ग्राहकों के लिए SJ-100 के निर्माण का अधिकार प्राप्त होगा — यह कदम UDAN योजना के अंतर्गत छोटे मार्गों की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है।
- यह प्रथम बार होगा जब भारत में एक पूर्ण यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा, इससे पहले AVRO HS-748 का निर्माण HAL द्वारा 1961 से 1988 के बीच किया गया था।
- SJ-100 परियोजना न केवल नागरिक उड्डयन में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह निजी क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगी और विमानन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार उत्पन्न करेगी।

क्या आप जानते हैं?

- आगामी दशक में भारत के विमानन क्षेत्र को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इस श्रेणी के 200 से अधिक जेट विमानों की आवश्यकता होगी, और भारतीय महासागर क्षेत्र के आस-पास के अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए लगभग 350 अतिरिक्त विमानों की मांग होगी।

Source: TH

■■■■

NEXT IAS